कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट , कानपुर नगर

संख्या- 3681/ओ०एस०डी०/2020 दिनांक- अप्रैल-25-2020

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या 3626/ओ०एस०डी०/2020 दिनांक 24-04-2020, के द्वारा जनपद कानपुर नगर के हॉट-स्पॉट क्षेत्र के दो किमी परिधि के अंतर्गत आने वाली समस्त बैंक शाखाये / ए०टी०एम०/ बैंक मित्र सेंटर दिनांक 24-04-2020 से अग्रिम आदेशों तक बन्द किये जाने एवं इसके अतिरिक्त बैंक शाखाओं , ए०टी०एम० एवं बैंक मित्र सेंटर के अंदर व बाहर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन , सेनिटाइजर व मास्क का प्रयोग करते हुये खोले जाने का आदेश पारित किया गया था।

वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कोविड-19 (कोरोना) महामारी दृष्टिगत कंटेनमेंट जोन से 500 मीटर परिधि के अंतर्गत आने वाली समस्त बैंक शाखाये / ए०टी०एम०/ बैंक मित्र सेंटर अग्रिम आदेशो तक बन्द रहेगे। साथ ही यह आदेशित किया जाता कि कोविड-19 (कोरोना महामारी) के दृष्टिगत भविष्य मे यदि कोई भी क्षेत्र हॉट-स्पॉट / एपीसेंटर के अंतर्गत घोषित किया जाता है तो उस क्षेत्र के 500 मीटर परिधि के अंदर कार्यरत समस्त बैंक कार्यालय / बैंक शाखा / बैंक मित्र सेंटर / ए०टी०एम० स्वयं संज्ञान लेते हुये अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिये जाये।

इसके अतिरिक्त जिन बैंको के जनपद मे सिर्फ एक ही शाखा कार्यरत है उस बैंक की एवं समस्त बैंको के कार्यालय / सेवा शाखा हॉट – स्पॉट क्षेत्र के 500 मीटर परिधि के अंतर्गत आता है तो वह शाखा/ कार्यालय / सेवा शाखा बन्द रहेगी।

(डा० ब्रह्मदेव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट
कानपुर नगर

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- आयुक्त , कानपुर मण्डल, कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ।
2- डी०आई०जी०/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर।
3- मुख्य विकास अधिकारी , कानपुर नगर।
4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी , कानपुर नगर।
5- समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट , कानपुर नगर।
6- सी० ई० ओ० कांटोमेंट बोर्ड कैंट , कानपुर नगर।
7- समस्त जिला स्तरीय अधिकारी कानपुर नगर।
8- नगर मजिस्ट्रेट / समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर।
9- लीड बैंक मैनेजर , कानपुर नगर।
10- समस्त नगरीय निकाय , कानपुर नगर।

Scanned with CamScanner